श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 14.07.2012 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति - यथापंजी।

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र -सह- आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति :-

जिला के 5 अंचलों में डाटा केन्द्र -सह- आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर, धरहरा एवं संग्रामपुर अंचल में भवन निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा खड़गपुर अंचल में भवन के छत की ढ़लाई का कार्य अभी शेष है एवं तारापुर अंचल में ढ़लाई कार्य पूर्ण हो चुका है।

चूँकि कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व में आश्वस्त किया गया था कि उक्त भवनों का निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूर्ण कर हस्तगत करा दिया जायेगा। इस निमित्त अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल को उक्त भवनों को अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु स्मार पत्र निर्गत करें।

1. भू-लगान :-

भू-लगान से संबंधित जिला के सभी अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त लगान वसूली की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	अंचल का नाम	लगान वसूली की राशि	प्रतिशत
1	सदर	77760.00	19.11
2	जमालपुर	56710.00	25.42
3	धरहरा	69326.00	25.26
4	बरियारपुर	120613.00	45.72
5	ह0 खड़गपुर	145776.00	32.58
6	टेटियाबम्बर	105840.00	19.59
7	तरापुर	184978.00	75.36
8	असरगंज	103820.00	53.63
9	संग्रामपुर	102372.00	48.24
कुल वसूली		*967195.00*	34.46%

इस तरह मुंगेर जिला में वित्तीय वर्ष 2012-13 के माह जुन में कुल 967195.00/- (नौ लाख सड़सठ हजार एक सौ पनचानवे) रूपये भू-लगान की वसूली की गयी है।

2. दाखिल खारिज :-

दाखिल खारिज से संबंधित अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार माह जुन 2012 में अंचलवार निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0	अंचल का नाम	31.03.12 तक कुल लम्बित वादों की संख्या	01.04.12 से गत माह तक दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में कुल दायर वादों की संख्या	कुल दायर वादों की संख्या (3+4+5)	01.04.12 से गत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या (7+8)	कुल लम्बित वादों की संख्या (6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर	153	403	163	719	392	241	633	86
2	जमालपुर	10	304	175	489	251	142	393	96
3	धरहरा	50	132	130	312	150	107	257	55
4	बरियारपुर	75	178	253	506	148	162	310	196
5	खड़गपुर	33	407	249	689	385	253	638	51
6	टेटियाबम्बर	33	133	55	221	101	52	153	68
7	तारापुर	128	294	44	466	335	69	404	62
8	असरगंज	175	382	165	722	426	159	585	137
9	संग्रामपुर	45	205	109	359	176	110	286	73
कुल योग :-		702	2438	1343	4483	2364	1295	3659	824

सभी अंचल अधिकारियों को आदेश दिया गया कि दाखिल खारीज वादों का निष्पादन सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

3. सहाय्य :-

जिला के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गा कि शीत लहरी से संबंधित प्राप्त आवंटन 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र इस माह तक निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. लोक भू- अतिक्रमण :-

लोक भू अतिक्रमण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिर्फ अंचल अधिकारी सदर द्वारा 01(एक), जमालपुर द्वारा 02(दो) एवं धरहरा द्वारा 02(दो) वादों का निष्पादन किया गया है। जिला के एक भी अचंल अधिकारी द्वारा माह जून में अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर वाद प्रारभ्भ नहीं की गयी है। जबकि विगत दो बैठकों से सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया था कि माह अप्रैल से कम से कम तीन - तीन अतिक्रमित भूमि को चिन्हित कर वाद प्रारम्भ करेंगे एवं विधिसम्मत कारवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे। सभी अंचल अधिकारी अवगत है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराना उन्हीं का दायित्व है।

माह जुन के प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जिला के सभी अंचल अधिकारियों द्वारा विभागीय निदेश के अलावे उच्चाधिकारियों के ओदश की अवहेलना की जा रही है। इस तरह का कृत्य विभागीय निदेश के प्रतिकुल है । यदि अगली बैठक तक अपना कार्यक्लाप नहीं सुधारते हैं तो उनके विरूद्ध विधिसम्मत कारवाई हेतु सरकार को लिखा जायेगा। सभी अंचल अधिकारी अतिक्रमित भूमि का लेखा संधारण करेंगे ताकि किसी भी समय यह पता चल सके कि उनके अचंल में कितना भूमि अतिक्रमित है।

5. भू–अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :–

विगत कई बैठकों से सदर, जमालपुर, धरहरा, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर के अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि संबंधित राजस्व ग्रामों का भू–अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का प्रिंट आउट जो जिला राजस्व कार्यालय से भेजा गया है, उसे वे अपने कार्यालय में खोजबीन कर विभागीय निदेशांनुसार अंकित आंकड़ों की शुद्धता की जाँच कर जिला राजस्व कार्यालय को वापस करेंगे परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा अभी तक नहीं उक्त प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। इस तरह का कृत्य विभागीय निदेश के प्रतिकुल है।

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू–अभिलेख कम्प्युटरीकरण से संबंधित कार्य योजना तैयार कर आप को भेज दी गयी है। कार्य योजना के अनुसार भू–अभिलेख कम्प्युटरीकरण चालू खतियान के आधार पर कराई जाये।

6. सैरात :–

सैरात संबंधी प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के माह जून तक कुल 835588/– (आठ लाख पैंतीस हजार पॉच सौ अठासी) रूपये की वसूली की गयी है। गत् बैठक में भी सैरात के बड़े बकायेदारों द्वारा सन्निहित राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नीलाम पत्र दायर करने का निदेश दिया था। उपसमाहर्त्ता प्रभारी जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि एक नीलाम पत्र दायर किया गया है।

7. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2012 :–

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2012 की बिहार गजट बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं अचंल अधिकारी को पूर्व में उपलब्ध करा दी गयी है एवं विभागीय सचिव की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में आपसबों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

सर्वप्रथम विभाग से प्राप्त प्रपत्र । एवं ॥ अंचल अधिकारी, सदर एवं अंचल अधिकारी जमालपुर को स्थानीय स्तर पर छपाई कराकर दो–दो मौजों के लिए उपलब्ध करा दी गयी है। अंचल अधिकारी सदर एवं जमालपुर द्वारा बताया गया कि रैयतों को प्रपत्र उपलब्ध करा दी गयी है एवं स्वघोषणा पत्र प्राप्त की जा रही है। इसी तरह से जिला के सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत दो–दो मौजों की रैयतों की संख्या भेजी जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराया जा सके। तत्काल उसी प्रपत्र के आधार पर भू–अभिलेख का डाटा इन्ट्री कार्य भी हो सके।

सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अंचल कार्यालय में दिन प्रतिदिन के दाखिल खारीज को शुद्धि पत्र के आधार पर चालू खतियानी प्रभार करायें। इससे भी डाटा इन्ट्री के कार्य में में सुविधा होगी।